झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–03/विविध–06–132/2018........../राँची, दिनांक ....

आदेश

मनोहरपुर प्रखण्ड अन्तर्गत सोनापीर हेन्देरबुरू में पक्का चेकडैम निर्माण में बरती गई अनियमितता के आरोप के लिए श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता (चालू प्रभार) ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, चाईबासा (ID- J8896 कनीय अभियंता कोटि) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही में श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित पाये जाने के कारण श्री अनिल कुमार सिंह, को विभागीय आदेश ज्ञापांक– 4738 दिनांक– 03.09.2015 द्वारा नियमानुसार सेवा से बर्खास्त (Dissmissal from Service) किया गया है।

2. सेवा से बर्खास्तगी की स्थिति में श्री सिंह को उनके सामान्य भविष्य निधि में संचित राशि तथा नई ग्रुप जीवन बीमा योजना में संचित राशि (ब्याज सहित) नियमानुसार देय है। इसके अतिरिक्त श्री सिंह को कुछ देय नहीं होगा।

3. सेवा से बर्खास्तगी के समय श्री सिंह, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची में संलग्न थे। अतः देय राशि का नियमानुसार भुगतान मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

4. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 4506 ....राँची/दिनांक 25.10.18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/अवर सचिव प्रशाखा–03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री अनिल कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता (चालू प्रभार) ग्राम–कुरमाडीह, पत्रालय+पता–शभुगंज, जिला–बाँका(बिहार)/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/10/2018

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\03_v__06_132_2018_(Anil K. Singh).docx 1